दिनांक 11 अक्टूबर 2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अनुमति समाप्त होने के बाद भी मोबाइल टावर के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य को कराया गया बंद

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 13 राजीव नगर में अनुमति लिए बगैर मोबाइल टावर के लिए खुदाई किए गए गड्ढे को मूल स्वरूप में तब्दील कर दिया गया साथ ही निगम के अधिकारियों ने मोबाइल टावर कंपनी को समझाइश दी कि बिना अनुमति प्राप्त किए कार्य न करें! उप अभियंता सुरेश केवलानी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि वार्ड 13 राजीव नगर में टावर विजन कंपनी द्वारा टावर निर्माण करने के लिए गड्ढे खुदाई की गई है जिसकी अनुमति निगम से प्राप्त नहीं की गई है! जब अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया गया व दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तो निगम द्वारा दिए गए अनुमति की अवधि मार्च 2019 में समाप्त हो चुकी थी जिस पर निगम के अधिकारियों ने कार्यवाही की और निर्माण कार्य को बंद कराया! इसी प्रकार अवैध मोबाइल टावर के विरुद्ध निगम द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है !

जल है तो कल है

जल ही जीवन है!

जनसंपर्क अधिकारी